न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 110/2022
GCMS NO. : 2022/186

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. चेतनप्रकाश पुत्र मिसाराम जाति– रेगर निवासी– पाटन, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।		1. तारूराम पुत्र घीसाराम जाति– रेगर, निवासी– पाटन, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज०। 2. तहसीलदार तहसील– जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.21/06/2022

उपस्थितः. 1. श्री चेतनप्रकाश, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 27/02/2023

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा संख्या 2883 रकबा 1. 3112 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की आई है जिसमे वादी का 1/2 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 वां हिस्सा आता है। उसी माफिक मौके पर काबिज होकर काश्त कार्य करते चले आ रहे है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड चौसाला जमाबंदी की प्रमाणित प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है तथा उपर वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। वादी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कार्य कर रहा है। इसलिए वादी का 122 वां हिस्से की भूमि राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे में अलग तरमीम किया जाना आवश्यक है। जिससे वादी अपने कृषि भूमि की तारबंदी, नेखमबंदी करवा सके तथा अपनी भूमि को और ज्यादा उपजाऊ बना सकता है। वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि पक्षकारों के बीच संयुक्त व सामलाती है तथा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा [illegible] चौप व माठे भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के नाप चौप करते हुए [illegible] ई है इस वजह से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के बीच भूमि के जाप चौप [illegible] बंटवाड़े को लेकर कई बार विवाद भी होता है। जबकि वादी अपने हक हिस्से [illegible] भूमि पर देशी खाद काली मिट्टी डलवाकर और अधिक उपजाऊ बनाना चाहता [illegible] साथ ही सुरक्षा के प्रयोजनार्थ लोहे की जाली व तारबंदी भी करवाना चाहता है परन्तु इस भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर विवाद होता है। इस वजह से वादी वादपत्र में वर्णित खसरा संख्या की विवादित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाना चाहता है तथा मौके पर भी पेमाईश करवाना चाहता है। लेकिन प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

संख्या 01 उसमें सहमत नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 01 विशिष्ट भू भाग को अपना होना कर उस पर अपना स्थाई कब्जा करने पर आमादा है। जबकि वादी बाई मिट्स एण्ड उसके इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा चाहता है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 सहमत नहीं होने से तथा बंटवाड़ा करवाने व उसमें सहमति देने से इंकार कर देने पर वादी के पास यह यादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह पादपत्र बाबत विवादित भूमि के बंटवा हेतू सादरा पेश है विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 03 के बीच संयुक्त व शामलाति राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिसका वादी माफिक हिस्से अनुसार अपनी उक्त विवादित भूमि का बंट्वाड़ा भी बाई मिट्स एण्ड पाउण्डस के करवाना चाह रहा है साथ ही विशिष्ट भू भाग से वादी को बेकाबिज करते हुए अपना करने पर आमादा है। इस प्रकार से यदि प्रतिवादी संख्या 01 उक्त दृष्कृत्य करने सफल हो जाता है एवं यदि उक्त प्रतिवादी संख्या 01 इस वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा किए बिना ही इस भूमि के विशिष्ट भू भाग को अपना होना बताकर कब्जा कर लेते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही यादी इस विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का रोध करेगा जिससे विवाद बढ़ेगा एवं मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स होगी तब ऐसी विषम परिस्थितियो में वादी के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह यादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 02 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक लेकिन वादी का यह वादपत्र अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है दो माह की अवधि पूर्ण होने तक प्रतिवादी संख्या 01 वादी को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देंगे। तब ऐसी परिस्थितियों में नोटिस देना डिसपेन्स विथ कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। जिसके बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। विनायवाद दिनांक 10.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वी से इस विवादित भूमि पर जबरदस्ती बेदखल कर अपना कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम पाटन तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 01 को बार बार रुक-रुक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहेने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया [illegible] वादी शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बह[illegible] वादी पर और कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा पाटन पटवार [illegible] द्वितीय सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया जिसमें [illegible]गण एवं प्रतिवादीगण बरु राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हक हिस्से [illegible] काश्तकार दर्ज है, खसरा संख्या 2883 रकबा 1.3112 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा पाटन पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली थान में वादी एवं प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा संख्या 2883 रकबा 1.3112 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल में वादी एवं प्रतिवादी के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके मेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/1018 दिनांक 22/09/2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/6552 दिनांक 07/11/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस अधिवक्ता वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा संख्या 2883 रकबा 1.3112 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	चेतनप्रकाश पुत्र मिसाराम जाति–रेगर, सा0 पाटण खातेदार	2883	0.6556	बा. अव्वल	0.33
4.	तारूराम पुत्र घीसाराम जाति–रेगर, सा0 पाटण खातेदार	2883/1	0.6556	बा. अव्वल	0.33

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली ... शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख... ...ण्डार ...मा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर ...)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 27/02/2023 को सर–इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. चेतनप्रकाश पुत्र मिसाराम जाति- रेगर निवासी- पाटन, तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज०।

1. तारूराम पुत्र घीसाराम जाति- रेगर, निवासी- पाटन, तहसील- जैतारण जिला- पाली राज०।
2. तहसीलदार तहसील- जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 110/2022

निर्णय/ डिक्री दिनांक :- 27.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .... व हाजरी श्री चेतनप्रकाश, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा पाटन पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा संख्या 2883 रकबा 1.3112 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	चेतनप्रकाश पुत्र मिसाराम जाति- रेगर, सा० पाटण खातेदार	2883	0.6556	बा. अव्वल	0.33
4.	तारूराम पुत्र घीसाराम जाति- रेगर, सा० पाटण खातेदार	2883/1	0.6556	बा. अव्वल	0.33

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

खर्चा इस मुकदमें बाबत सब

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-..... ...... वसूल या ..... -...... व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल या ...... को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27 ... 2023 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:07 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर ...)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील	03	00	खर्चा गवाहान	/	
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	07	00	मिजानः–	02	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:07 IST
Reason: SelfAttested